

32  
123

**झारखण्ड सरकार**  
**विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग**  
**नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची**

पत्रांक-वि0प्रा0/पर्षद-08/12

417

/राँची, दिनांक- 11.2.13

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,  
झारखण्ड, राँची।

**विषय :-** राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, राँची में आवश्यकता आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,


निदेशानुसार कहना है कि झारखण्ड राज्य के युवाओं को तकनीकी शिक्षा हेतु दस राजकीय पोलिटेकनिक एवं तीन राजकीय महिला पोलिटेकनिक कार्यरत है इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी कई पोलिटेकनिक संस्थान कार्यरत है साथ ही 07 और नये पोलिटेकनिक संस्थान राज्य सरकार द्वारा खोलने की कार्यवाही की जा रही है। इन संस्थानों के परीक्षा का संचालन कार्य राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद द्वारा की जाती है। राज्य सरकार ने विभागीय संकल्प सं0 244 दिनांक 01.02.2012 द्वारा झारखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने तक राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद का अवधि विस्तार किया गया है।

झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात अविभाजित बिहार द्वारा झारखण्ड राज्य के राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद को निम्न पद बटवारा से प्राप्त हुआ है :-

क्र0	पदनाम	वेतनमान	राज्य बंटवारा के समय आवंटित स्वीकृति
01.	प्रोग्रामर	6500-10500	01
02.	लिपिक	4000-6000	05
03.	दफ्तरी	2610-3540	01
04.	आदेशपाल	2550-3200	01

2. राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद में स्वीकृत पदों की कमी के कारण इसका कार्य प्रतिनियुक्ति के आधार पर संपादित किया जा रहा है। राज्य बंटवारा के लगभग 12 वर्ष होने वाले है और इस बीच कई AICTE मान्यता प्राप्त निजी पोलिटेकनिक संस्थान एवं खरसांवा राजकीय पोलिटेकनिक कार्यरत हो गया है जिसके कारण पोलिटेकनिक संस्थानों के बच्चों की परीक्षा संचालित करने, उसका मूल्यांकन करने और परीक्षा परिणाम ससमय निकालने में काफी कठिनाई हो रही है।

3. अतः राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद सम्यक विचार उपरान्त कार्य की महत्ता को सुचारु रूप से सम्पादित करने के लिए नए पदों का सृजन का प्रस्ताव पदवर्ग समिति के समक्ष रखा गया था जिसके विरुद्ध पदवर्ग समिति ने निम्न पदों की सृजन की स्वीकृति की अनुशंसा की है।



3/2  
119

-2-

क्र०	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	ग्रेड पे०	पदवर्ग समिति की अनुशांसा
1	सचिव	01	PB-IV 37400-67000	9000	01 (प्रतिनियुक्ति पर)
2	परीक्षा नियंत्रक	01	PB-IV 37400-67000	8000	01 (प्रतिनियुक्ति पर)
3	उप परीक्षा नियंत्रक	01	PB-III 15600-39100	7000	01 (प्रतिनियुक्ति पर)
4	प्रधान सहायक-सह-लेखापाल	01	PB-II 9300-34800	4200	01
5	लिपिक	03	PB-I 5200-20200	1900	02
6	आशुलिपिक	01	PB-I 5200-20200	2400	01
कुल					07

अतः राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद हेतु आवश्यकता आधारित निम्न पदों की सृजन की स्वीकृति का निर्णय लिया गया है।

क्र०	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड पे०	सृजित पदों की संख्या
1	सचिव	PB-IV 37400-67000	9000	01 (प्रतिनियुक्ति पर)
2	परीक्षा नियंत्रक	PB-IV 37400-67000	8000	01 (प्रतिनियुक्ति पर)
3	उप परीक्षा नियंत्रक	PB-III 15600-39100	7000	01 (प्रतिनियुक्ति पर)
4	प्रधान सहायक-सह-लेखापाल	PB-II 9300-34800	4200	01
5	लिपिक	PB-I 5200-20200	1900	02
6	आशुलिपिक	PB-I 5200-20200	2400	01
कुल				07

4. उपरोक्त पदों में से क्रमांक 1 से 3 को राज्य तकनीकी शिक्षा सेवा में कार्यरत वांछित योग्यता वाले कर्मियों में से, जो पूर्व में लोक सेवा आयोग के अनुशांसा के आलोक में नियुक्ति किए गए हैं, विभागीय समिति द्वारा चयन के आधार पर भरा जा सकता है। इन पदधारकों की प्रतिनियुक्ति अधिकतम 3 वर्षों के लिए ही हो सकेगी।

11/2/23

5. क्रमांक 4, 5 एवं 6 में उल्लेखित पदों को राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसा प्राप्त कर सीधी भर्ती से भरा जा सकता है। यह पदधारक राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद के स्थायी कर्मचारी होंगे।
6. उपरोक्त पद क्रम संख्या 1 से 3 में अंकित पदों पर प्रतिनियुक्ति विभागीय समिति करेगी जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे जिसके उपाध्यक्ष, सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी होंगे तथा सदस्य निदेशके, विज्ञान एवं प्रावैधिकी तथा एक अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधि जो विशेष सचिव स्तर का होगा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा मनोनित किया जाएगा सदस्य के रूप में रहेंगे।
7. यह विभागीय समिति सभी वांछित योग्यता के पदधारकों के लिए तीन नामों की पैनल अनुशंसित करेगी। अनुशंसित पैनल में से पदधारकों का अंतिम चयन विभागीय मंत्री/सलाहकार द्वारा किया जाएगा।
8. राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद के उपरोक्त पदों पर की जाने वाली नियुक्ति पर होने वाली व्यय राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद द्वारा अपने आन्तरिक संसाधनों से वहन करेगी। राज्य सरकार इसके लिए कोई भी अतिरिक्त राशि उपलब्ध नहीं करायेगी।
9. पदों के सृजन के प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति एवं परामर्शी परिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से  
11/2/13  
(अनिल कुमार सिंह)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वि0प्रा0/पर्षद-08/12 417  
प्रतिलिपि:-सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राज पत्र असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। राजपत्र की 100 प्रतियां विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को उपलब्ध कराये।  
/राँची, दिनांक- 11.2.13

11/2/13  
(अनिल कुमार सिंह)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वि0प्रा0/पर्षद-08/12 417  
प्रतिलिपि:- माननीय महामहिम के सलाहकार के विशेष कार्य पदाधिकारी/मुख्य सचिव कोषाग/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।  
/राँची, दिनांक- 11.2.13

11/2/13  
(अनिल कुमार सिंह)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वि0प्रा0/पर्षद-08/12 417  
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद (SBTE) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
/राँची, दिनांक- 11.2.13

11/2/13  
(अनिल कुमार सिंह)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वि0प्रा0/पर्षद-08/12 417  
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन धुर्वा, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
/राँची, दिनांक- 11.2.13

11/2/13  
(अनिल कुमार सिंह)  
सरकार के उप सचिव